लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/133/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः–24.12.2020
GCMS No.:-2020/00410

श्री विदेश जीनगर निवासी मकान नं. 90/4, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 19.01.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 29.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 133/2020/(19.01)/785 दिनांक 28.12.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.01.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 19.01.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा बिड़ला हॉस्पिटल के भूमि आवंटन संबंधी सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 133/2020 (सू.अ.)
श्री विदेश जीनगर निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/558 दिनांक 05.01.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री विदेश पिता बिरदीचन्द जीनगर निवासी 90/4, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.10.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 30.10.2020 प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से सूचना चाही गई जिनके पत्रांक/राजस्व/मूल/89 दिनांक 07.12.2020 से अवगत कराया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में बिड़ला हॉस्पिटल हेतु भूमि का आवंटन इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। अतः वांछित सूचना इस कार्यालय से उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2657 दिनांक 15.12.2020 से अन्तरित किया गया है, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी भिजवाई गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में इस कार्यालय द्वारा अवगत करा दिये जाने से इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/558 दिनांक 05.01.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2657 दिनांक 15.12.2020 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनाऐं/प्रमाणित प्रतियां चाही गई जो कि आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को धारा 6 (3) के तहत स्थानान्तरित करते हुए, उसकी सूचना अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गयी थी। जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क करें।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./133/2020(सू.अ.)/95 दिनांकः– 21/01/2021

प्रतिलिपिः–
1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री विदेश जीनगर पिता स्व. बिरदीचंद जीनगर निवासी मकान नं. 90/4, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)